राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

डिक्री बमूकदमें इकबादाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–छापड़ा

राजस्व वाद संख्या – 268/2005

1– नारायणसिंह पुत्र रिधसिंहसिंह, जाति राजपूत, निवासी बागरासर, तहसील जायल जिला नागौर।

......................वादीगण

बनाम

1– किशोरसिंह दत्तक पुत्र उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी बागरासर, तहसील जायल जिला नागौर।
2– बन्नेसिंह पुत्र रिधसिंहसिंह जाति राजपूत, निवासी बागरासर, तहसील जायल जिला नागौर।
3– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थित अधिवक्ता–

1. अंबालाल पाराशर वादी की और से।
2. शैलेन्द्र सिह कालवी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री अंबालाल पाराशर तथा प्रतिवीदगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह कालवी की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. यह घोषणा की जाती है कि मौजा बागरासर की भूमि खसरा नं. 141 रकवा 6.12 बीघा, खसारा नं. 252 रकवा 8.09 बीघा, खसरा नं. 83 रकवा 48.10 बीघा, खसरा नं. 160 रकवा 30 बीघा तथा खसरा नं. 255 रकवा 12.11 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है।
2. कि इसका विभाजन वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बीच निम्न प्रकार से किया जाता है।

क. कि मौजा बागरासर के खेत खसरा नं. 83 रकबा 48.10 बीघा में से पूर्वी 35 बीघा भाग वादी नारायणसिंह के हक बंट कब्जा कास्त तथा खातेदारी का घोषित किया जाता है।

ख. कि मोजा बागरासर का खेत खसरा नं. 160 रकबा 30 बीघा पूरा तथा खसरा नं. 141 रकवा 6.12 बीघा मे से 5 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादी संख्या 1 किशोरसिंह के हक बंट कब्जा कास्त तथा खातेदारी का घोषित किया जाता है।

ग. कि मौजा बागरासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 141 रकवा 6.12 बीघा में से 1.12 बीघा उतरी भाग, खेत खसरा नं. 252 रकवा 8.09 बीघा, खेत खसरा नं. 255 रकवा 12.11 बीघा पूरा तथा खसरा नं. 83 रकवा 48.10 बीघा में से 13 बीघा पश्चिमि भाग प्रतिवदी संख्या 2 बन्नेसिंह के हक बंट कब्जा कास्त तथा खातेदारी का घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज की तारी लीज x मुवलिक x बाबत् x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें।
बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

लोक अदालत शिविर ... सहायक कलक्टर नागौर

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल जिला–नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–छापड़ा

क्रमांक–रा.लो.अदा.अभि./2018/42 दिनांक–08.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताविक डिकी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी,जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner